

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़
आदेश पत्रक

राज्यसात वाद संख्या-49/2024

राज्य बनाम् ट्रैक्टर संख्या-JH24G-0974 के स्वामी

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

19/05/25

-:: आदेश ::-

अभिलेख उपस्थापित। यह राज्यसात की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के ज्ञापक-2305/अप०शा०, दिनांक-26.09.2023 द्वारा माण्डू (वे०वो०) थाना काण्ड संख्या-176/2023, Jharkhand Minerals (Prevention Of Illegal Mining Transportation & Storage) Rules-2017 & 54 Jharkhand Mineral Concession Rule-2004 And 21 Mines & Minerals (Regulation & Development) Act-1957 के अंतर्गत जप्त ट्रैक्टर संख्या-JH24G-0974 एवं डाला में लोड करीब 100 सी०एफ०टी० बालू को राज्यसात की कार्रवाई अनुशंसा की गई है। उक्त प्राप्त अनुशंसा के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक-1436/विधि, दिनांक-03.10.2023 से जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ से मंतव्य की मांग की गई। जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ ने पत्रांक-539/खनन, दिनांक-24.04.2024 के द्वारा राज्यसात की कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु अनुशंसा हेतु प्रस्ताव न्यायालय को प्राप्त है।

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा W.P.(Cr.) No.-1072/2023, W.P.(C) No.-6788/2023, W.P.(C) No.-7531/2023 में पारित आदेश के आलोक में वाद की कार्यवाही बिना प्रभावकारी आदेश के समाप्त की जाती है। तदनुसार जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ को अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। आदेश की प्रति जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ को भेजे।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chanday
19/05/25

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।

Chanday
19/05/25

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।